

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
संख्या:- 762 / XV-1 / 15 / 2(26) / 2009
देहरादून : दिनांक 24 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-589/10/XXVII(7) 40(IX)/2011 दिनांक 01 जुलाई, 2013 एवं शासनादेश संख्या-10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरूप सारणी-1 में उल्लिखित पशुचिकित्साधिकारियों को प्रथम नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 7600 तथा सारणी-2 में उल्लिखित पशुचिकित्साधिकारियों को 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवाओं के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड पे ₹ 8700 अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल, महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

सारणी-1

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	विभाग में योगदान की तिथि	08 वर्ष की सेवा पर प्रथम वैयक्तिक वेतनमान ₹ 10000- 15200 (वेतन बैंड ₹ 15600- 39100 ग्रेड पे ₹ 6600) अनुमन्य होने की तिथि	वेतन बैंड में ₹ 15600- 39100 ग्रेड पे ₹ 6600 में प्रथम पदोन्नति की तिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा० उदय शंकर ✓	19.02.1994	20.02.2002	18.05.2010	19.02.2010
2	डा० सत्यस्वरूप ✓	05.01.1994	06.01.2002	18.05.2010	05.01.2010
3	डा० सुधीर कुमार सिंह ✓	21.03.1997	22.03.2005	18.05.2010	21.03.2013
4	डा० शष्ठी वल्लभ पाण्डे ✓	19.06.1997	20.06.2005	18.05.2010	19.06.2013
5	डा० सुनील कुमार बिन्जोला ✓	10.06.1997	11.06.2005	18.05.2010	10.06.2013
6	डा० सुनील कुमार अवस्थी ✓	05.06.1997	06.06.2005	18.05.2010	05.06.2013
7	डा० आशीष रावत ✓	26.01.1998	27.01.2006	18.05.2010	27.01.2014
8	डा० विद्या सागर कापड़ी ✓	11.09.1997	12.09.2005	18.05.2010	11.09.2013
9	डा० घनश्याम दत्त जोशी ✓	13.06.1997	14.06.2005	18.05.2010	13.06.2013
10	डा० अनुज कुमार अग्रवाल ✓	09.09.1997	10.09.2005	18.05.2010	09.09.2013
11	डा० आशुतोष जोशी ✓	08.09.1997	09.09.2005	18.05.2010	08.09.2013
12	डा० योगेश कुमार भारद्वाज ✓	15.09.1997	16.09.2005	18.05.2010	15.09.2013
13	डा० कै० त्रिभुवन सिंह ✓	19.06.1997	20.06.2005	18.05.2010	19.06.2013
14	डा० अभय कुमार ✓	15.09.1997	16.09.2005	18.05.2010	15.09.2013

15	डा० भरत दत्त डौड़ियाल ✓	02.09.1997	03.09.2005	18.05.2010	02.09.2013
16	डा० धीरेश चन्द्र जोशी ✓	07.06.1997	08.06.2005	18.05.2010	07.06.2013
17	डा० देवेन्द्र सिंह बिष्ट ✓	26.06.1997	27.06.2005	18.05.2010	26.06.2013
18	डा० रमन चोपड़ा ✓	02.09.1997	03.09.2005	18.05.2010	02.09.2013
19	डा० महेश चन्द्र जोशी ✓	22.06.1998	22.06.2006	18.05.2010	22.06.2014
20	डा० अनोज कुमार डिमरी ✓	04.07.1998	04.07.2006	18.05.2010	04.07.2014
21	डा० धनन्जय कुमार चन्द ✓	20.07.1998	20.07.2006	18.05.2010	20.07.2014
22	डा० एस०सी० जोशी ✓	04.07.1998	04.07.2006	18.05.2010	04.07.2014
23	डा० वसुन्धरा गर्बाल ✓	21.07.1998	21.07.2006	18.05.2010	21.07.2014
24	डा० नारायण सिंह नेगी ✓	04.07.1998	04.07.2006	18.05.2010	04.07.2014
25	डा० हरेन्द्र कुमार ✓	26.09.1998	26.09.2006	18.05.2010	26.09.2014
26	डा० कौशलेन्द्र कुमार जोशी ✓	24.09.1998	24.09.2006	18.05.2010	24.09.2014
27	डा० हरि सिंह ✓	29.09.1998	28.09.2006	18.05.2010	28.09.2014
28	डा० अशोक लीलाधर बिष्ट ✓	28.09.1998	28.09.2006	18.05.2010	28.09.2014
29	डा० अशोक कुमार ✓	26.09.1998	26.09.2006	27.05.2011	26.09.2014
30	डा० राजेन्द्र मठपाल ✓	23.09.1997	24.09.2005	27.05.2011	23.09.2013

सारणी-2

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	विभाग में योगदान की तिथि।	08 वर्ष की सेवा प्रथम वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त होने की तिथि।	16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने की तिथि	26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा० प्रद्युम्न सिंह रावत	23.01.1987	23.01.1995	01.09.2008	23.01.2013
2	डा० प्रेम शंकर यादव	01.04.1987	01.04.1995	01.09.2008	01.04.2013

- उक्त पशुचिकित्साधिकारियों को द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप इनका वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों/नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- निदेशक, पशुपालन यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्मिकों को उपरोक्त लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में सभी तथ्य शासन के संज्ञान में लाये गये हैं।
- भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन व अन्य देयको में से एकमुश्त की जायेगी एवं इसका समस्त दायित्व निदेशक, पशुपालन का होगा।
- उक्त से किसी पशुचिकित्साधिकारी की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


डा०रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या- 762 (1)/XV-1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित अधिकारी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव